भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 763

बुधवार, 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबड़ इकाइयों के लिए औद्योगिक पार्क

763. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत रबड़ आधारित इकाइयों के लिए और अधिक औद्योगिक पार्क खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस पर विचार करने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा जीवन के लिए संघर्ष कर रहे किसानों की सहायता के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): रबड़ आधारित इकाइयों के लिए औद्योगिक पार्क खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

(ख) और (ग): लागू नहीं।

(घ): रबड़ उत्पादकों के कल्याण के लिए प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र की सहायता हेतु मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) (2017-18 से 2019-20) में 'प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के सतत तथा समावेशी विकास' स्कीम के जरिए रबड़ बोर्ड के माध्यम से विकास एवं अनुसंधान कार्यकलाप किए जाते हैं। इन विकास कार्यकलापों में पौधारोपण के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता, गुणवत्तापरक पौध सामग्री की आपूर्ति, उत्पादक मंचों की सहायता तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाल के वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत कम रही हैं। एनआर के आयात के संबंध में स्वदेशी एनआर कीमतें अत्यधिक संवेदनशील हैं। अतएव, एनआर के आयात को विनियमित करने के लिए, सरकार ने दिनांक 30.04.2015 से शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क "20% अथवा 30 रुपये प्रतिकिलो जो भी कम हो" से बढ़ाकर "25% अथवा 30 रुपये प्रतिकिलो जो भी कम हो" कर दी है ताकि स्थानीय उत्पादित रबड़ की मांग को बढ़ाया जा सके। सरकार ने एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत आयातित शुष्क रबड़ की इस्तेमाल अवधि को भी 18 माह से घटाकर 06 माह कर दिया है।

******